

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 870
दिनांक 17.09.2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

ग्रामीण स्वच्छता रणनीति

870. श्री नायब सिंह:
श्रीमती गीताबेन वी. राठवा:
श्री जॉन बर्ला:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा ग्रामीण स्वच्छता रणनीति (2019-2020) के अंतर्गत कौन-से प्रमुख क्षेत्र हैं;
- (ख) 'ग्रे-वाटर' के शोधन हेतु उपयोग की जा रही प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है;
- (ग) 'ब्लैक वाटर स्लज' के प्रबंधन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (घ) इस संबंध में हरियाणा राज्य में क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ङ) प्लास्टिक ट्रीटमेंट के लिए उपयोग की जा रही प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है; और
- (च) जैव अपशिष्ट का शोधन और बाद में इसका उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है?

उत्तर
जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) सरकार ने 2 अक्टूबर, 2014 से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम(जी)] की शुरुआत की जिसका उद्देश्य 2 अक्टूबर, 2019 तक देश में सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय मुहैया कराकर सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करना था। सरकार द्वारा एसबीएम(जी) के दूसरे चरण का अनुमोदन किया गया है जो 2020-21 से 2024-25 तक कार्यान्वित किया जाना है। एक 10-वर्षीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यनीति 2019-2029 भी शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के मुख्य संघटक वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों, सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) और सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) हैं। एसएलडब्ल्यूएम

में जैविक तथा अजैविक अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रे-वाटर प्रबंधन और मलीय अपशिष्ट प्रबंधन शामिल हैं।

(ख) ग्रे-वाटर (गंदले जल) के उपचार के लिए सुझाए गए प्रौद्योगिकीय विकल्प सोख गड्ढे/लीच गड्ढे/मैजिक गड्ढे/ अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाब/निर्मित आर्द्र भूमि/विकेन्द्रित मलीय जल उपचार प्रणाली (डीईडब्ल्यूएटीएसटीएम) हैं तथापि राज्यों को स्थानीय स्थिति के अनुकूल सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी के विकल्प के चयन की छूट दी गई है।

(ग) मैला युक्त जल (ब्लैक वाटर सहित) प्रबंधन के संबंध में एसबीएम(जी) के तहत उसी स्थल पर स्वच्छता प्रणाली की सिफारिश की गई है जैसे कि दो लीच गड्ढों वाले शौचालयों का निर्माण जिसमें स्थल पर ही मैला युक्त जल का उपचार किया जाता है। तथापि, विशेष रूप से गहन आबादी अथवा बड़े अर्ध-शहरी गांवों में कुछ परिवारों में सेप्टिक टैंक अथवा एक गड्ढे वाले शौचालय वाले परिवारों के लिए मैला युक्त मलीय जल प्रबंधन प्रणाली की योजना बनाई जा सकती है।

(घ) हरियाणा राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उनकी वार्षिक कार्यान्वयन योजना में राज्य द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां चलाई गई हैं - ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शैड का निर्माण, कम्पोस्ट पिट्स, बायोगैस संयंत्र, अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाबों का निर्माण आदि।

(ङ) प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के मुख्य संघटक हैं- (i) घर-घर एवं गली-गली जाकर प्लास्टिक सहित गैर-जैविकीय कचरा एकत्रित करना, (ii) सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा के लिए कचरे की छटाई और उसकी ढुलाई के लिए गांव में शेडों का निर्माण, (iii) प्लास्टिक की बिक्री जिससे पुनर्चक्रण कर्ता धन अर्जन करते हैं, (iv) सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा में प्लास्टिक के कचरे की कतरन/गठरी बनाना, (v) कतरे गए प्लास्टिक का सड़क निर्माण अथवा सीमेंट उद्योगों में सह-प्रसंस्करण के जरिए निपटान।

(च) जैव-अपशिष्ट का जैविक अपघटन होता है और इसका उपयुक्त प्रौद्योगिकीयों (जैसे खाद बनाना आदि) द्वारा उपचार किया जाता है और इससे सृजित उत्पादों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक खाद के रूप में उपयोग किया जा रहा है।
